कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर दिनांक 27.01.2022

कमांक 03 / छात्र कल्याण / 2022

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष / अधिष्ठातागण
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ ग)

विषयः– छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृति बाबत।

महोदय,

विगत वर्षो की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में सत्र 2021–2022 में प्रवेशित अर्हतादायी छात्र – छात्राओं को छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाना है। उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने वाले छात्र – छात्राओं से निर्धारित आवेदन पत्र भराये जाने हैं। आवेदन पत्र की कमांक 01 से 22 तक समस्त प्रविष्टियां भरना अनिवार्य है। अर्हतादायी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ अर्हता की पुष्टि हेतु वांक्षित अभिलेखों को संलग्न करते हुए संकायाध्यक्ष, द्वारा दिनांक 24.02.2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करेगें । संबंधित आवेदन पत्र एवं छात्र कल्याण योजनाओं की प्रति प्राप्ति हेतु, विश्वविद्यालय के वेब पटल का अवलोकन करे । कोविड –19 की परिस्थिति को देखते हुये विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बेब पटल से आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भरने एवम् अपने हस्ताक्षर करने के उपरांत सभी सम्बन्धित स्वहस्ताक्षारित अभिलेखों के साथ ई मेल संलग्नक के द्वारा विभागाध्यक्ष को 17.02.2022 तक प्रेषित करेगे । तत्पश्चात विभागाध्यक्ष अभिलेखों को सत्यापित कर संकायाध्यक्ष को 22.02.2022 तक प्रेषित करेगें। संकायाध्यक्ष अपने अध्ययनशाला के समस्त आवेदनों पर हस्ताक्षरोपरांत 24.02.2022 तक अधिष्ठाता , छात्र कल्याण कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करेगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा । छात्र कल्याण योजना कमांक 01,02,05 तथा 08 में वर्णित उपस्थिति संबंधी प्रावधानों में कोविड– 19 की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत छूट प्रदान की गयी हैं।

उक्त जानकारी से छात्र –छात्राओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हुये इस सूचना को विभाग के सूचना पटल पर भी चस्पा करायें ।

आदेशानुसार

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

बिलासपुर दिनांक 27.01.2022

पृ०क० 04 / छात्र कल्याण / 2022

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर माननीय कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, विभिन्न अध्ययनशालाओं की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य छात्रदास अधीक्षक / अधीक्षक बालक / बालिका छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने बाबत ।
5. कार्यालय प्रति ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण